

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION  
समाज कल्याण निदेशालय  
DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 16 अप्रैल, 2018

**अधिसूचना संख्या-297**

फा.सं.6-14/डी.एस.डब्लू/अधिसूचना/2013-14/..... उप  
राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा दिनांक  
14.05.2013 के अधिसूचना संख्या फा.सं.6-14/डीएसडब्लू/  
अधिसूचना/2013-2014/1121 के द्वारा अधिसूचित अण्डमान तथा निकोबार  
द्वीपसमूह वृद्धावस्था सहायता (संशोधन) नियमावली, 2013 में निम्नलिखित  
संशोधन करते हैं, अर्थात् –

**1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ : -**

- (i) इस स्कीम को "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वृद्धावस्था सहायता (संशोधन) नियमावली, 2018 कहा जाएगा ।
- (ii) यह नियमावली 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे ।

2 अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वृद्धावस्था सहायता (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 4 को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"जिस माह से वृद्धावस्था सहायता स्वीकृत किया जाता है उसके अगले माह से इसका भुगतान किया जाएगा । 60 से 79 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रति माह सहायता राशि रु.2500/- होगी तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रति माह रु.3000/- होगी जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस ) के लाभार्थी भी शामिल है ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(गीतिका शर्मा)  
निदेशक(समाज कल्याण)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION  
समाज कल्याण निदेशालय  
DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 16 अप्रैल, 2018

**अधिसूचना संख्या-297**

फा.सं.6-14/डीएसडब्लू/अधिसूचना/2013-14/..... उप  
राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा दिनांक  
14.05.2013 के अधिसूचना संख्या फा.सं.6-14/डीएसडब्लू/  
अधिसूचना/2013-2014/1120 के द्वारा अधीन अधिसूचित अण्डमान तथा  
निकोबार द्वीपसमूह विधवा पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2013 में निम्नलिखित  
संशोधन करते हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ : -

- (i) इस स्कीम को "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विधवा पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2018 कहा जाएगा ।
- (ii) यह नियमावली 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे ।

2 अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विधवा पेंशन (संशोधन)  
नियमावली, 2013 के नियम 7 को इस प्रकार से प्रतिस्थापित  
किया जाएगा :

"विधवा भत्ता की मात्रा प्रति माह रु.2500/- होगी तथा आवेदक को यह सहायता मिलना तब बंद हो जाएगी, जब वह पुनर्विवाह कर लेती या कालांतर मे वह वित्तीय स्तर पर सशक्त हो जाती है, जिसका पता सम्यक जांच या रिकोर्डों के माध्यम से किया जाएगा ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(गीतिका शर्मा)  
निदेशक(समाज कल्याण)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION  
समाज कल्याण निदेशालय  
DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 16 अप्रैल, 2018

**अधिसूचना संख्या-297**

फा.सं.6-14/डी.एस.डब्लू/अधिसूचना/2013-14/..... उप  
राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा दिनांक  
14.05.2013 के अधिसूचना संख्या फा.सं.6-14/डीएसडब्लू/  
अधिसूचना/2013-2014/1122 के अधीन अधिसूचित अण्डमान तथा  
निकोबार द्वीपसमूह विकलांगता भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2013 में  
निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात -

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ : -

- (i) इस स्कीम को "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विकलांगता  
भत्ता (संशोधन)  
नियमावली, 2018 कहा जाएगा ।
- (ii) यह नियमावली 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे ।

2 अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विकलांगता भत्ता (संशोधन )  
स्कीम, 2013 के खंड 6 को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया  
जाएगा :-

"सहायता की मात्रा प्रतिमाह रुपए 2500/- होगी बशर्ते की  
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विकलांगता भत्ता (संशोधन)  
नियमावाली , 2011 में संशोधित खंड 4 के अनुसार पात्रता रखता  
हो ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(गीतिका शर्मा)  
निदेशक(समाज कल्याण)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION  
समाज कल्याण निदेशालय  
DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 16 अप्रैल, 2018

**अधिसूचना संख्या-297**

फा.सं.6-14/डी.एस.डब्लू/अधिसूचना/2013-14/..... उप  
राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा दिनांक  
14.05.2013 के अधिसूचना संख्या फा.सं.6-14/डीएसडब्लू/  
अधिसूचना/2013-2014/1119 के द्वारा अधिसूचित अण्डमान तथा निकोबार  
द्वीपसमूह निराश्रित महिला भत्ता (संशोधन) स्कीम - 2013 में निम्नलिखित  
संशोधन करते हैं, अर्थात् -

**1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :-**

- (i) इस योजना को "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निराश्रित महिला भत्ता (संशोधन) स्कीम, 2018" कहा जाएगा ।
- (ii) यह स्कीम 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे ।

2 अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निराश्रित महिला भत्ता (संशोधन) स्कीम, 2013 के नियम 7 को अधोलिखित के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

" निराश्रित महिला को मिलने वाले भत्ते की मात्रा रु.2500/- प्रतिमाह होगी और यह सहायता आवेदक को मिलना तब बंद होगी जब उसकी मासिक आय रु० 4000/- से अधिक होगी तथा या जब वह अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का स्थायी निवासी नहीं रह जाएगा।" लाभार्थी को अवस्था /स्थिति की ऐसे परिवर्तन को तत्काल अर्थात् 15 दिनों भीतर निदेशक (समाज कल्याण) को सूचित करना होगा । 15 दिनों के भीतर ऐसी सूचना देने में असफल रहने की स्थिति में निदेशक (समाज कल्याण ) समुचित जांच -पड़ताल के पश्चात भुगतान की गई भत्ते की वसूली राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में किया जाएगा ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(गीतिका शर्मा)  
निदेशक(समाज कल्याण)